तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5535/2005/करौली समस्त पंच लुहरान बनाम संस्था गौशाला वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के.पारीक एवं श्री एन.के.गोयल, अधिवक्तागण, प्रार्थीगण
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 2
श्री लोकेन्द्र सिंह, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार
विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः–23–01–2023

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचाराधीन अपील की कार्यवाही में प्रार्थीगण/आवेदकगण द्वारा पेश किए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि सिविल न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध निर्णय पारित होने की स्थिति में प्रार्थी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में हितबद्ध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5535/2005/करौली समस्त पंच लुहरान बनाम संस्था गौशाला वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार है। अतः अपील के निस्तारण हेतु प्रार्थीगण को आलोच्य अपील में पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायोचित है। उनका यह भी कहना है कि तहसीलदार करौली के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा लिखित आवेदन की दशा में ही नियम 14 (4) की कार्यवाही अमल में लायी गयी है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण जरिये निगरानी अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–10–2005 को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत निगरानी का विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय को न्यायसंगत होना कहा है। उनका कहना है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील की कार्यवाही में प्रार्थीगण द्वारा जो आलोच्य प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तो ऐसे प्रार्थना पत्र को पेश किए जाने के क्रम में उनके पास पर्याप्त समय उपलब्ध था। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने तत्समय पक्षकार संयोजित किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर भूल की है। उनका तर्क है कि जब अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील में उभयपक्ष की सम्पूर्ण बहस समायत होकर पत्रावली निर्णय हेतु आरक्षित रख ली तो उसके उपरान्त ऐसे प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5535/2005/करौली समस्त पंच लुहरान बनाम संस्था गौशाला वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निवेदन किया। उपराजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि मामले में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि आवेदक के पास नवीन पक्षकार संयोजित किए जाने के क्रम में विधिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके द्वारा तत्समय ऐसे उपचार का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। इसके विपरीत जब पत्रावली अन्तिम निर्णय हेतु आरक्षित कर ली गई थी, तब ऐसे अनर्गल प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण का कोई महत्व शेष नहीं रहता है। अन्त में उन्होंने निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित निर्णय एवं पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष विचाराधीन अपील की कार्यवाही में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी पेश किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से खारिज किया है। उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार यह पाया जाता है कि जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 20-6-2005 को पेश की गयी। आवेदकगण के पास उक्त अपील प्रस्तुतीकरण के समय भी प्रार्थना पत्र पेश किए जाने का अवसर उपलब्ध था। जब अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले में उभयपक्ष की सम्पूर्ण बहस दिनांक 25-08-2005	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5535/2005/करौली समस्त पंच लुहरान बनाम संस्था गौशाला वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को सुनी जाकर निर्णय हेतु पत्रावली आरक्षित किए जाने के उपरान्त ऐसे प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण का इस न्यायालय के मतानुसार कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। आवेदकगण को अपील प्रस्तुत करते समय ही अपना आवेदन पेश करना अपेक्षित था। आक्षेपित निर्णय का विधि के परिप्रेक्ष्य में सम्यक परीक्षण के बाद यह न्यायालय आक्षेपित निर्णय में दिए गए अभिमत में किसी विधि का उल्लंघन अथवा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग होना नहीं पाता है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होना पाया जाता है। सांराशतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना पायी जाती है।

परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-10-2005 को यथावत रखा जाता है। न्यायहित में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि विचाराधीन अपील में उभयपक्ष को सुनकर विधि के प्रावधानों के तहत आगामी विचारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5535/2005/करौली समस्त पंच लुहरान बनाम संस्था गौशाला वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए